

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18236/2022

में

एस.बी. रिट रेस्टोरेशन संख्या 154/2024

1. कैलाश पुत्र श्री रूपा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी वार्ड क्रमांक 09, सिद्धो का बास, बेनीसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
2. भोमराज सिंवर पुत्र श्री आदु राम सिंवर, उम्र लगभग उम्र 27 वर्ष, जाति सिन्वर्स, निवासी सेफराज जी मन्दिर के पास बिंजाराम जाट की खेड़ी, नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)।
3. राहुल गोदारा पुत्र श्री अन्ना राम, उम्र लगभग 23 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नंबर 38/155, प्रेम नगर, दिगारी, जोधपुर, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
4. परमा राम गोदारा पुत्र श्री चेना राम, उम्र लगभग 25 वर्ष, जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 11, तह. मकराना, गिगलिया, जिला नागौर (राजस्थान)।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
2. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अपने परीक्षा नियंत्रक, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) के माध्यम से।
3. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अपने परीक्षा नियंत्रक, रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान) के माध्यम से।
4. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर अपने परीक्षा नियंत्रक, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
5. गुरुकुल कांगड़ी (मानित विश्वविद्यालय), हरिद्वार अपने परीक्षा नियंत्रक, जगजीतपुर, हरिद्वार (उत्तराखंड) के माध्यम से

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री त्रिलोक जोशी के लिए श्री योगेन्द्र

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण माँगा

आदेश (मौखिक)

23/05/2024

बहाली आवेदन में उल्लिखित कारणों से, इसकी अनुमति दी जाती है।

मुख्य मामले को उसकी मूल संख्या में बहाल किया जाता है।

मुख्य मामला

1. याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने और उसे सफल घोषित करने के निर्देश चाहते हैं।

2. संक्षेप में कहा जाए तो मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा) द्वारा बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर प्रशिक्षक के पदों के लिए दिनांक 01.02.2022 को विज्ञापन संख्या 02/2022 जारी किया गया, जिसका शीर्षक बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, 2022 है। याचिकाकर्ताओं ने स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र के रूप में ऑनलाइन भर्ती पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किए तथा इस परीक्षा में भाग लिया।

2.2. प्रतिवादी बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं को अनंतिम ई-प्रवेश पत्र जारी किए, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम और केंद्र का विवरण दिया गया। परीक्षा की तिथि 18.06.2022 तय की गई।

2.3. इस बीच, कोविड-19 महामारी के कारण, याचिकाकर्ताओं के संबंधित विश्वविद्यालयों ने सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा प्रक्रिया में देरी की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी बी-टेक सेमेस्टर VIII परीक्षा, 2022, पी.जी. डिप्लोमा, बी.सी.ए. अंतिम वर्ष की परीक्षा, 2022 और बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग VIII सेमेस्टर-2022 में भाग लिया। हालाँकि, महामारी के कारण इन परीक्षाओं के परिणाम में देरी हुई।

2.4. बोर्ड ने बाद में 31.08.2022 को बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए परिणाम जारी किए, जिसमें 9,862 रिक्तियों के विरुद्ध 7,069 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ताओं को सफल घोषित किया गया था, लेकिन प्रतिवादी बोर्ड/प्राधिकरण द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया था कि वे पदों के लिए अयोग्य थे क्योंकि उनके पास कट ऑफ तिथि तक अपेक्षित डिग्री योग्यता नहीं थी। इसलिए, यह रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि COVID-19 महामारी और प्रासंगिक समय पर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण, याचिकाकर्ता अपनी अंतिम बी.टेक परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। फिर भी, कठोर तथ्य यह है कि उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि तक योग्यता की डिग्री नहीं थी।
4. इसके अलावा, समय बीतने के साथ, चयन प्रक्रिया ने इस अंतराल में अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है। सभी विज्ञापित पद अब उन उम्मीदवारों द्वारा भरे गए हैं जिनके पास कट-ऑफ तिथि तक अपेक्षित डिग्री थी।
5. इस आधार पर, इस विलंबित चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
6. याचिका खारिज की जाती है।
7. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।